UPME010091852026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा, द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2641/2026</u>

1. ब्रजपाल पुत्र दयाराम, 2. अंकित पुत्र ब्रजपाल, 3. दीपक पुत्र ब्रजपाल व 4. विकास उर्फ मुददू पुत्र मोनू, निवासीगण–ग्राम–खिर्वा नौआबाद, थाना–सरधना, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–369/2026
अं0धारा–109(1),115(2),351(3),352, 117(2),3(5) बी0एन0एस0
थाना–सरधना, जनपद–मेरठ।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से.....श्री सौरभ वर्मा, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)
वादी की ओर से..... श्री सरताज आलम, विद्वान अधिवक्ता

<u>दिनांक–09.07.2026</u>

1. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ब्रजपाल, अंकित, दीपक व विकास उर्फ मुददू की ओर से मुकदमा अपराध सं0–369/2026, अं0धारा–109(1),115(2),351(3),352,117(2),3(5) बी0एन0एस0, थाना–सरधना, जनपद–मेरठ में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 23.05.2026 को समय 12.30 बजे वादी के पिता व भाई भेड चराने के लिए जंगल में गये थे। तभी गांव के ही ब्रजपाल, अंकित, दीपक व विकास मोटर साइकिल पर आये और उसके भाई व पिता से गाली–गलौच करते हुए, उन्हें लाठी–डंडो व सरिये से

मारापीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आयी और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है।
- कथित घटना का कोई हेतुक नहीं है।
- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आपस में रिश्तेदार है दिनांक 23.05.2026 को वादी मुकदमा की किसी अज्ञात द्वारा जिसको लेकर वादी मुकदमा व उक्त अज्ञात के साथ लडाई झगडा हुआ था, जिसमें वादी मुकदमा पिता व भाई चुटेल हो गये।
- वादी मुकदमा ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए हुई मुहँ भाषा को दिनांक 23.05.2026 की बताकर गलत तरीके से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना हाजा पर उपरोक्त मुकदमा दर्ज करा दिया जबकि उस दिनांक को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुबह से लेकर शाम तक परिवार में ताई कश्मीरी देवी की तेहरवी में मौजूद थे, जहाँ लोगो का आना जाना हो रहा था।
- वादी मुकदमा ने षडयन्त्र के तहत झूठा मुकदमा प्रार्थीगण के खिलाफ लिखवाया है।
- चुटेलो को जो चोटे दिनांक 23.5.2026 की घटना में आयी है वह साधारण प्रकृति की चोटे है।
- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा या किसी के साथ कोई मारपीट, गाली गलौच या जान से मारने की धमकी नही दी है।
- घटना उपरोक्त का कोई स्वतन्त्र गवाह नही है।
- तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्तगण की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में

दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। उनके विरूद्ध वादी मुकदमा के पिता व भाई के साथ लाठी–डंडों व सरियों से प्रहार किये जाने के आरोप हैं।

8. केस डायरी के पर्चा सं0–4 में मजरूबगण सतपाल व शुभम के बयान का विवरण दिया गया है, जिनके द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ लाठी–डंडों से मारपीट किये जाने के आरोप लगाये गये हैं।

9. चश्मदीद साक्षी संकित व अरूण द्वारा भी अपने–अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

10. प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा–110,115(2), 351(3),352 बी0एन0एस0 में पंजीकृत हुई थी। बाद में उसमें 109(1),117(2),3(5) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी है।

11. प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है और अब तक की गयी विवेचना में जो साक्ष्य एकत्र किया गया है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है या उनके विरूद्व अभियोग उन्हें पुलिस से गिरफ्तार कराकर अपमानित करने से आशय से लगाया गया है।

12. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप में अधिकतम दण्ड 10 वर्ष का प्रावधानित है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

13. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ब्रजपाल, अंकित, दीपक व विकास उर्फ मुददू द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 09.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)